रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2011/श्रावण 14, 1933

No. 440] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2011/SRAVANA 14, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 601(अ).—संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 (अब के बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में नियम 50 में, उप-नियम (5) में,-

(क) क्लॉज (ii) में "से तीन वर्ष" शब्दों के लिए, शब्द और कोष्ठक "से तीन वर्ष (उस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के मामले में पांच वर्ष जिसे नियम 51 के उप-नियम (2) के अंतर्गत छत्तीस महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है) के बाद" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्लॉज (iii) में "तीन वर्ष के बाद" शब्दों के लिए, शब्द और कोष्ठक "तीन वर्ष (उस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के मामले में पांच वर्ष जिसे नियम 51 के उप-नियम (2) के अंतर्गत छत्तीस महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है) के बाद" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 63 में, उप-नियम (1) में, "तीन वर्ष के बाद" शब्दों के लिए, शब्द और कोष्ठक "तीन वर्ष (उस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के मामले में पांच वर्ष जिसे नियम 51 के उप-नियम (2) के अतंर्गत छत्तीस महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है) के बाद" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, द्वितीय अनुसूची में, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9 और फॉर्म 10 में "तीन वर्ष की अवधि के अंदर बाद" शब्दों के लिए "तीन वर्ष/पांच वर्ष की अवधि के अंदर बाद" क्रमश: प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 13026/5/2010-स्था. (छुट्टी)]

ममता कुन्द्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :-प्रधान नियम सं. का.आ. 940, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए और उसमें अद्यतन संशोधन सं. सा.का.नि. 160, दिनांक 12 मई, 2011 द्वारा किया गया।